तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.25	पत्रावली पेश हुई वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 , 3 से 5/1 से 5/4 तथा 7 से 13 व पार्टी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के अधिवक्ता ने माफिक इस्तदुआ वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 750, 751, 768, 769 व 783 एवं सरहद मौजा इन्द्राणा में अवस्थित खसरा संख्या 1237, 1238, 1239, 1240, 1300, 135 व 424 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 नेतीराम के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि में से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जाकर डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। वादी वकील ने प्रतिवादी का निवेदन स्वीकार किया जाकर माफिक इस्तदुआ डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। लिहाजा वादी का वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 750, 751, 768, 769 व 783 एवं सरहद मौजा इन्द्राणा में अवस्थित खसरा संख्या 1237, 1238, 1239, 1240, 1300, 135 व 424 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 नेतीराम के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि में से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया जाता हैं । तहसीलदार सिवाना माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो । खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:11:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीः–

भंवरसिंह पुत्र नेतीराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

पार्टी संख्या 1

1. बाबूसिंह पुत्र नेतीराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
2. शैतानसिंह पुत्र नेतीराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
3. सबुबा पुत्री नेतीराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
4. सोरिया पुत्री नेतीराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
5. स्व. वसनसिंह पुत्र नेतीराम के वारिसान
   5/1 तारसिंह पुत्र वसनसिंह जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
   5/2 चन्दनसिंह पुत्र वसनसिंह जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
   5/3 गायत्री पुत्री वसनसिंह जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
   5/4 तीजो देवी पत्नी वसनसिंह जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
6. नेतीराम पुत्र हरजीजी जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा

पार्टी संख्या 2

7. आम्बाराम पुत्र वगताराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
8. मेहराराम पुत्र वगताराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
9. पुखराज पुत्र टिकमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
10. पेमाराम पुत्र टिकमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
11. मिसराराम पुत्र टिकमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
12. रामाराम पुत्र टिकमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा
13. सुकीदेवी पुत्री टिकमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा जिला बालोतरा

पार्टी संख्या 3

1. शाखा प्रबन्धक भारती स्टेट बैंक शाखा इन्द्राणा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या :– **13/2025** निर्णय दिनांकः – 15.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 750, 751, 768, 769 व 783 एवं सरहद मौजा इन्द्राणा में अवस्थित खसरा संख्या 1237, 1238, 1239, 1240, 1300, [illegible]4 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 नेतीराम के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि में [illegible] संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा घोषित किया है,। तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश सुसंगत रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:11:23 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.10.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना